UPRB010020592013

न्यायालय VI Addl. District and Session Judge, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (PRABHAT KUMAR YADAV), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01634**

सत्र परीक्षण संख्या 800734/ 2013
राज्य प्रति श्रीमती शकुन्तला सिंह आदि

मुकदमा अपराध संख्या–216/ 2013
धारा 498ए,304बी,120बी. भारतीय दण्ड संहिता,
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–सरेनी, जिला–रायबरेली।

20.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण पंकज सिंह व रंजीता सिंह उपस्थित। अभियुक्ता शकुन्तला सिंह की आज की हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त भोला सिंह अनुपस्थित।

अभियुक्त भोला सिंह की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा जारी समन 148क/ 1 पर थाना सरेनी के कान्स्टेबिल रितेश सचान द्वारा भोला सिंह की मृत्यु आख्या दिनांकित 06.04.2024 प्रस्तुत की गयी, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत भोला सिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र 148क/2, प्रस्तुत किया गया।

सी.डब्ल्यू.1 के रूप में कान्स्टेबिल रितेश सचान को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपने मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त भोला सिंह के विरूद्ध जारी समन दिनांकित 06.04.2024 पर भोला सिंह की मृत्यु आख्या प्रदर्श–ख 1 तथा ग्राम प्रधान जगन्नाथपुर, विकास खण्ड–सरेनी, तहसील–लालगंज, जनपद–रायबरेली श्री जगदीश प्रधान द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ भोले की मृत्यु आख्या को समन के साथ संलग्न किये जाने का तथ्य साबित किया है तथा कथन किया है कि अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ भोले की मृत्यु दिनांक 30.01.2024 को हो चुकी है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त भोला सिंह की मृत्यु दिनांक 30.01.2024 को हो चुकी है। **अतः अभियुक्त भोला सिंह के विरूद्ध यह मामला अवेट किया जाता है।**

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 31.08.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिये साक्षी संख्या 12 ता 14 जरिये समन उपस्थित हों।

(प्रभात कुमार यादव)
षष्टम, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
20.07.2024

ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा,
आशुलिपिक

Digitally signed by Prabhat Kumar Yadav
Date: 2024.07.20 15:33:19 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Rae bareli